रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220275
CG-DL-E-30062020-220275

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942
No. 321] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

सा.का.नि. 423(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 50गक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

   (2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, नियम 11पकग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 50गक के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का विहित वर्ग

11पकघ. अधिनियम की धारा 50गक के उपबंध किसी कंपनी और उसकी समनुषंगी तथा किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे समनुषंगी की समनुषंगी की किसी जंगम सम्पति जो कोट न किए गये शेयर है, के अंतरण के लिए लागू नहीं होंगे, जहां –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर अधिकरण ने ऐसे कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नए निदेशक नियुक्त कर दिया है; और

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगी के शेयर तथा ऐसे समनुषंगी की समनुषंगी अधिकारिता का प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुमोदित एक संकल्प योजना के अनुसरण में अंतरित की गई है।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, --

(क) कोई कंपनी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य धारित करती है;

(ख) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में है।

[अधिसूचना सं. 42/2020/फा. सं. 370149/143/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ), तारीख 29 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।